PUBLIC NOTICE

M/s Lanco Amarkantak Power Limited, a Generating Company as defined in the Electricity Act, 2003 has been supplying five percent (5%) of net generated power to CSPTrdCL/CSPDCL w.e.f. 17/04/2010 from its 300 MW (Unit 2) coal based thermal power station in village Pathadi, District Korba, Chhattisgarh. In this regard, M/s Lanco Amarkantak Power Limited has filed a tariff petition (31/2020) under Section 86(1)(a) read with Section 62 of the Electricity Act, 2003 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for determination of Tariff for FY 2018-19 & FY 2019-20 against the above power supply. The Petition for determination of tariff has been filed in accordance with CSERC (Terms and Condition for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015.

The month wise Energy Charges as claimed by the Petitioner have been computed as per the CSERC MYT Regulations 2015. Accordingly, the petitioner has computed energy charges of Rs. 2.753/kWh and Rs. 2.017/kWh for FY 2018-19 and FY 2019-20 respectively.

In addition to the above, the Petitioner has also claimed water charges, reimbursement of electricity duty, WRLDC Fees and Charges, ULDC charges and NLDC charges incurred by the petitioner corresponding to the 5% net generated power.

Persond intending to file objections/suggestions in this regard may submit objections/suggestions to the Secretary, Chhattisgarh Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur-492001 (C.G.) email- cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Vice President, (Commercial & Fuel Management), M/s Lanco Amarkantak Power Ltd, Plot No. 397, Udyog Vihar Phase III, Gurugram, Haryana, PIN - 122016, e-mail-anil.sh@lancogroup.com, Fax - (0124) 4747024 within 21 days from publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on website www.cserc.gov.in, Hardcopy of the aforesaid petition may be obtained by any interested person on any working day between 11:00 AM to 4:00 PM from the Commission's office on payment of Rs. 500/- in cash. The Copy of the petition may also be obtained by post on additional payment of Rs. 100/- towards postal expenses.

Date, time and place of the hearing shall be notified by the Commission separately.

Vice President (Commercial & Fuel Management),
M/s Lanco Amarkantak Power Ltd,
Gurugram, Haryana

आम सूचना

मेसर्स लैंको अमरकटक पॉवर लिमिटेड अपने ताप विद्युत सयंत्र के यूनिट-2 (300 मेगावॉट) ग्राम पताडी जिला-कोरबा में स्थित विद्युत सयंत्र से छत्तीसगढ स्टेट पॉवर ट्रेडिग कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिनांक 17-04-2016 से सकल विद्युत उत्पादन का ५प्रतिशत विद्युत एनजी चार्ज रेट पर आपूर्ति कर रही हैं इस संबंध में मेसर्स लैंको अमरकटक पॉवर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-62 सहपठित धारा- 86 (1) एवं आयोग के विनियम "नियम और शर्ते टैरिफ और शुल्क एवं शुल्क से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए मल्टी-ईयर टैरिफ सिद्धांतों और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अनुसार टैरिफ का निर्धारण अधिनियम- 2015" के अन्तर्गत छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका (31/2020) दायर की है।

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 एवं वित्त वर्ष 2019-20 में एनर्जी चार्ज रेट क्रमश: रू. 2.753/ यूनीट एवं रू. 2.017/ यूनीट आकलन किया गया हैं इसके आलावा, याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली 5 प्रतिशत विद्युत हेतु जल शुल्क, बिजली शुल्क, WRLDC शुल्क, ULDC शुल्क और NLDC शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया हैं।

इस संदर्भ में इच्छुक व्यक्ति आपत्तियों / सुझावों को सचिव, छत्तीसगढ विद्युत नियामक आयोग, सिचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर-492001 ई-मेल cserc.sec.cg@nic.in एवं/ या उपाध्यक्ष, (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन) मेसर्स लैको अमरकटक पावर लिमिटेड, प्लाट नम्बर 397, उद्योग विहार चरण - 3 गुरूग्राम, हरियाणा, पिन- 122016, ई-मेल anil.sh@lancogroup.com पर इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

उपरोक्त याचिका की प्रति www.cserc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है तथापि इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय से 500\- रूपये का भुगतान कर 11:00 पूर्वान्ह से शाम 4:00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती हैं। याचिका की प्रति पोस्ट द्वारा नकदी में 100/- रूपये डाक शुल्क की अतिरिक्त भुगतान पर भी प्राप्त की जा सकती हैं।

उक्त याचिका पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई सामान्यत उन व्यक्तियों की जाएगी जिन्होंने लिखित में आपत्तिया सुझाव किया हैं। आयोग द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन)
मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड
गुरूग्राम, हरियाणा

आम सूचना

मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड अपने ताप विद्युत संयंत्र के यूनिट-2 (300 मेगावॉट) ग्राम पताड़ी, जिला कोरबा में स्थित विद्युत संयंत्र से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड/छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिनांक 17.04.2016 से सकल विद्युत उत्पादन का 5% विद्युत एनर्जी चार्ज रेट पर आपूर्ति कर रही है। इस संबंध में मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-62 सहपठित धारा-86(1) एवं आयोग के विनियम "नियम और शर्ते टैरिफ और शुल्क एवं शुल्क से अपेक्षिम राजस्व के निर्धारण के लिए मल्टी- ईयर टैरिफ सिंद्धांतो और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अनुसार टैरिफ का निर्धारण अधिनियम- 2015" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका (31/2020) दायर की है।

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 एवं वित्त वर्ष 2019-20 में एनर्जी चार्ज रेट क्रमश रु 2.753/ युनीट एवं रु 2.017/ युनीट आंकलन किया गया है। इसके आलावा, याचिकाकर्ता द्वारा आपर्ति की जाने वाली 5 प्रतिशत विद्युत हेतु जल शुल्क, बिजली शुल्क, WRLDC शुल्क, ULDC शुल्क और NLDC शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया है।

इस संदर्भ में इच्छुक व्यक्ति आपित्तयों/ सुझावों को सचिव छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर- 492001 ई-मेल cserc.sec.cg@nic.in एवं / या उपाध्यक्ष, (वाणिज्कि और ईधन प्रबंधन) मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, प्लाट नम्बर 397, उद्योग विहार चरण-3, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122016, ई- मेल anil.sh@lancogroup.com पर इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनो के भीतर भेज सकते है।

उपरोक्त याचिका की प्रति www.cserc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है तथापि इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय से 500/- रुपये का भुगतान कर 11.00 पूर्वान्ह से शाम 4.00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति पोस्ट द्वारा नकदी में 100/- रुपये डाक शुल्क की अतिरिक्त भुगतान पर भी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त याचिका पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई सामान्यत उन व्यक्तियों की, की जाएगी जिन्होने लिखित में आपत्यिां/ सुझाव प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक और ईधन प्रबंधन)
मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड,
गुरुग्राम, हरियाणा

आम सूचना

मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड अपने ताप विद्युत संयंत्र के यूनिट-2 (300 मेगावॉट) ग्राम पताड़ी, जिला कोरबा में स्थित विद्युत संयंत्र से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड/छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दिनांक 17.04.2016 से सकल विद्युत उत्पादन का 5% विद्युत एनर्जी चार्ज रेट पर आपूर्ति कर रही है। इस संबंध में मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-62 सहपठित धारा-86(1) एवं आयोग के विनियम "नियम और शर्ते टैरिफ और शुल्क एवं शुल्क से अपेक्षिम राजस्व के निर्धारण के लिए मल्टी- ईयर टैरिफ सिंद्धांतो और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अनुसार टैरिफ का निर्धारण अधिनियम- 2015" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका (31/2020) दायर की है।

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 एवं वित्त वर्ष 2019-20 में एनर्जी चार्ज रेट क्रमश रु 2.753/ युनीट एवं रु 2.017/ युनीट आंकलन किया गया है। इसके आलावा, याचिकाकर्ता द्वारा आपर्ति की जाने वाली 5 प्रतिशत विद्युत हेतु जल शुल्क, बिजली शुल्क, WRLDC शुल्क, ULDC शुल्क और NLDC शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया है।

इस संदर्भ में इच्छुक व्यक्ति आपित्तयों/ सुझावों को सचिव छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर- 492001 ई-मेल cserc.sec.cg@nic.in एवं / या उपाध्यक्ष, (वाणिज्कि और ईधन प्रबंधन) मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, प्लाट नम्बर 397, उद्योग विहार चरण-3, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122016, ई- मेल anil.sh@lancogroup.com पर इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनो के भीतर भेज सकते है।

उपरोक्त याचिका की प्रति www.cserc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है तथापि इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय से 500/- रुपये का भुगतान कर 11.00 पूर्वान्हे से शाम 4.00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति पोस्ट द्वारा नकदी में 100/- रुपये डाक शुल्क की अतिरिक्त भुगतान पर भी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त याचिका पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई सामान्यत उन व्यक्तियों की, की जाएगी जिन्होने लिखित में आपत्यिां/ सुझाव प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक और ईधन प्रबंधन)
मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड,
गुरुग्राम, हरियाणा